PLUTUS IAS
UPSC/ PCS

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

प्लूटस आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

13/01/2025 से 19/01/2025 तक

THE HINDU

पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार

The Indian EXPRESS

कार्यालय

दूसरी मंज़िल, अप्सरा आर्केड, करोल बाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर - 6, नई दिल्ली 110005

706 प्रथम तल डॉ. मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के पास दिल्ली - 110009

मोबाइल नं. : +91 84484-40231

वेबसाइट : www.plutusias.com

ईमेल : info@plutsias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

1. तमिलनाडु में राष्ट्रगान विवाद : केन्द्र – राज्य संबंधों के बीच का सत्ता संतुलन....................1

2. महाकुंभ मेला 2025 और वायरलेस कनेक्टिविटी : एक नए युग की शुरुआत....................3

3. विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 : राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका और स्वामी विवेकानंद का योगदान....................6

4. वन (संरक्षण संशोधन अधिनियम) 2023 : जनजातीय मंत्रालय की पहल और प्रभाव....................9

5. भारत-तालिबान संबंध : दक्षिण एशिया के भू-राजनीति में नया समीकरण....................11

6. भारत का संविधान और समाज : ऑनर किलिंग के खिलाफ संघर्ष....................14

PLUTUS IAS

तमिलनाडु में राष्ट्रगान विवाद : केन्द्र – राज्य संबंधों के बीच का सत्ता संतुलन

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में, तमिलनाडु के राज्यपाल ने 2025 सत्र के पहले दिन अपना अभिभाषण शुरू करने से पहले भारत का राष्ट्रगान नहीं बजाए जाने पर विरोध जताते हुए अपना अभिभाषण दिए बिना ही विधानसभा से वापस चले गए।
- तमिलनाडु विधानसभा में घटे इस घटनाक्रम से भारत में केन्द्र – राज्य संबंधों के अनुसार भारत के संघात्मक और लोकतांत्रिक शासनात्मक व्यवस्था के अनुसार राज्य विधानमंडल में अपनाई जाने वाली औपचारिक प्रथाओं को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है।

भारत का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत क्या है ?

1. भारत का राष्ट्रगान "जन-गण-मन" रवींद्रनाथ ठाकुर (रवींद्रनाथ टैगोर) द्वारा 1911 में बांग्ला भाषा में लिखा गया था।
2. इसे बाद में हिंदी में भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया।
3. यह गीत ब्रिटिश शासन के विरुद्ध चले रहे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन के दौरान 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था।
4. भारत का राष्ट्रगीत "वंदे मातरम" है, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपोध्याय ने लिखा था।
5. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित ' वंदे मातरम ' गीत सन 1870 में लिखा गया था और सन 1882 में उनके प्रसिद्ध उपन्यास " आनंदमठ " में शामिल किया गया था।
6. सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था।
7. यह गीत भारत माता के प्रति श्रद्धा और स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रचलित हुआ था।
8. भारत के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया।

भारत में राष्ट्रगान बजाने के प्रोटोकॉल और परंपराएँ :

- **संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण :** भारत में राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले और बाद में राष्ट्रगान बजाया जाता है। राष्ट्रपति के मंच पर पहुंचने पर और जब वह सदन से बाहर निकलते हैं, दोनों ही बार राष्ट्रगान बजाया जाता है।
- **राज्य विधानमंडल में राज्यपाल का अभिभाषण :** भारत में विभिन्न राज्य विधानमंडलों में राष्ट्रगान बजाने की परंपराएँ राज्य के हिसाब से भिन्न – भिन्न होती हैं।
- **नागालैंड :** नागालैंड में 2021 तक राष्ट्रगान नहीं बजाया जाता था, लेकिन फरवरी 2021 में इसे पहली बार बजाया गया था।
- **त्रिपुरा :** त्रिपुरा विधानसभा में राष्ट्रगान पहली बार मार्च 2018 में बजाया गया था।
- **तमिलनाडु :** यहाँ एक विशेष परंपरा है, जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण से पहले "तमिल थाई वझ्रु" (राज्यगान) बजाया जाता है, और उसके बाद राष्ट्रगान बजाया जाता है। तमिलनाडु में यह परंपरा सन 1991 में शुरू की गई थी। इससे पहले राज्यपाल केवल विधानसभा में प्रवेश करते थे, अपना अभिभाषण देते थे और ऐसी औपचारिक प्रथाओं के बिना ही चले जाते थे।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के बजाने संबंधी निर्णय :

- वर्ष 2016 में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश जारी किया था जिसमें सभी सिनेमाघरों को यह निर्देश दिया गया था कि सिनेमाघरों में फिल्मों की शुरुआत से पहले राष्ट्रगान बजाएं और दर्शकों को खड़ा होना अनिवार्य हो। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का पालन सिनेमाघरों में किया गया। हालांकि, जनवरी 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना रुख बदलते हुए कहा कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अब अनिवार्य नहीं रहेगा, बल्कि यह वैकल्पिक होगा।

भारत में राष्ट्रगान के सम्मान की रक्षा के लिए उपाय :

1. **संवैधानिक सिद्धांत :** भारतीय संविधान की धारा 51(A)(a) के तहत यह कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करे।

PLUTUS IAS

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

2. **राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (PINH) अधिनियम, 1971 :** इस अधिनियम में राष्ट्रगान का अपमान करने या इसके उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है, जिसमें 3 वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा, दोषी व्यक्ति को 6 वर्षों तक संसद या राज्य विधानसभाओं के चुनाव में भाग लेने से अयोग्य कर दिया जाता है।

3. **राष्ट्रगान के सम्मान में भारत के गृह मंत्रालय का निर्देश :** गृह मंत्रालय ने नागरिक और सैन्य समारोहों, राष्ट्रपति और राज्यपाल के आगमन/प्रस्थान, परेड और अन्य औपचारिक आयोजनों में पूरा राष्ट्रगान बजाने के निर्देश दिए हैं।

समाधान की राह :

1. **संविधान और कानून के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना :** भारत का राष्ट्रगान, "जन-गण-मन", देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। इसे सम्मानित करना भारतीय नागरिकों का संवैधानिक कर्तव्य है, जिसे संविधान और कानून के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। इसके साथ ही, शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से इसे नागरिकों के बीच और प्रभावी तरीके से स्थापित किया गया है।

2. **संवैधानिक प्रावधान और संविधान का पालन करने के कर्तव्य को सुनिश्चित करना :** भारतीय संविधान के धारा 51(A) (a) में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रगान को लेकर किसी भी प्रकार की अवज्ञा या असम्मान की स्थिति से बचा जाए और हर भारतीय नागरिक इसके महत्व को समझे।

3. **राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (PINH) अधिनियम, 1971 का पालन सुनिश्चित करना :** राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971, राष्ट्रगान के अपमान के खिलाफ एक कड़ा कानून है। यह अधिनियम राष्ट्रगान के अपमान पर सजा का प्रावधान करता है। अपमान करने पर तीन साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस कानून से राष्ट्रगान के सम्मान की रक्षा होती है। इसके साथ ही, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का अपमान करता है तो उसे 6 साल तक के लिए चुनाव में भाग लेने से अयोग्य भी ठहराया जा सकता है।

4. **शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता :** भारत में राष्ट्रगान के सम्मान की रक्षा के लिए शैक्षिक संस्थानों, सरकारी कार्यक्रमों और मीडिया के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

5. **सरकारी और औपचारिक समारोहों में राष्ट्रगान बजाने का पालन सुनिश्चित करना :** सरकारी और सैन्य समारोहों में राष्ट्रगान का पूर्ण रूप से पालन किया जाता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के आगमन या प्रस्थान के दौरान, नागरिकों और सैनिकों को राष्ट्रगान बजाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय सलामी, परेड और अन्य औपचारिक कार्यक्रमों में भी राष्ट्रगान को बजाने का कड़ा आदेश है। ये आयोजन समाज में राष्ट्रगान की महत्ता और सम्मान को और भी अधिक बढ़ाते हैं।

6. **जनसंचार के माध्यमों के द्वारा राष्ट्रगान के महत्व पर चर्चा और जागरूकता अभियान चलाना :** मीडिया और फिल्म उद्योग राष्ट्रगान के सम्मान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न कार्यक्रमों और फिल्मों के माध्यम से जागरूकता फैलायी जाती है।

7. **राष्ट्रगान के सम्मान की रक्षा के लिए नागरिकों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना :** राष्ट्रगान का सम्मान केवल कानून से नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी से सुनिश्चित होता है। जब नागरिक राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाते हैं, तो यह देश के सामूहिक गौरव को मजबूत करता है। अतः राष्ट्रगान के संदर्भ में, समाज के सभी वर्गों को अपनी भूमिका निभाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष :

- भारत में राष्ट्रगान के सम्मान की रक्षा के लिए कानून, संवैधानिक प्रावधान, सरकारी आदेश और शिक्षा सभी मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन, यह केवल कानूनी उपायों तक सीमित नहीं रहना चाहिए; इसे समाज के हर स्तर पर सम्मानित किया जाना चाहिए। राष्ट्रगान न केवल एक गीत है, बल्कि यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम, हमारी पहचान और हमारे राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक है। इसके सम्मान की रक्षा करना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है।

स्त्रोत – पीआईबी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारतीय राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत का राष्ट्रगान "वंदे मातरम" है।
2. "जन-गण-मन" भारत का राष्ट्रगान है।
3. "वंदे मातरम" गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था।
4. "जन-गण-मन" रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा सबसे पहले हिन्दी में लिखा गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 4

B. केवल 2 और 3

C. केवल 2 और 4

D. केवल 1 और 4

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के महत्व, इतिहास, और इनके सम्मान की रक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा करें। सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, राज्य विधानमंडल में इसकी परंपरा और इसके सम्मान के लिए किए गए कानूनी उपायों के बारे में बताते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारतीय नागरिकों की जिम्मेदारी और शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रगान के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

महाकुंभ मेला 2025 और वायरलेस कनेक्टिविटी : एक नए युग की शुरुआत

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेला 2025 आयोजित होने जा रहा है, जिसमें लाखों तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है।
- यह मेला व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति, सांस्कृतिक उत्सव और सामाजिक एकता का प्रतीक माना जाता है।
- इस मेले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज को 1 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक एक नया महाकुंभ क्षेत्र घोषित किया है।
- इस मेले के आयोजन के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां पर निर्बाध मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की योजना बनाई है।
- महाकुंभ मेला 2025 में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है, यानी हर दिन औसतन 1 करोड़ श्रद्धालु मेला क्षेत्र में उपस्थित होंगे।
- यह आंकड़ा मानव इतिहास में सबसे बड़ी टेली-डेंसिटी (प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शन की संख्या) का रिकॉर्ड बना सकता है।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचार व्यवस्था को मजबूती देने के लिए 100 किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है जिसके तहत प्रत्येक मोबाइल टावर को उच्च क्षमता वाली रेडियो प्रणालियों से लैस किया जाएगा।
- इसके अलावा, भीड़भाड़ वाले इलाकों में संचार व्यवस्था बनाए रखने के लिए 78 परिवहन योग्य टावर और 150 छोटे सेल समाधान तैनात किए जाएंगे। स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर आपातकालीन संचार सुविधाओं का भी प्रबंध किया जाएगा।

कुंभ मेला का परिचय और उससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण तथ्य :

' कुंभ ' शब्द का अर्थ ' अमरता का घड़ा ' से लिया गया है, जो हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में पाया जाता है। कुंभ मेला हर 12 वर्ष में चार स्थानों पर आयोजित होता है:

1. प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)
2. हरिद्वार (उत्तराखंड)
3. नासिक (महाराष्ट्र)
4. उज्जैन (मध्यप्रदेश)

यह एक विशाल धार्मिक आयोजन होता है, जहां श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। यह आयोजन खासतौर पर चार प्रमुख स्थानों पर होता है:

1. हरिद्वार : गंगा के किनारे

2. उज्जैन : शिप्रा नदी के तट पर

3. नासिक : गोदावरी नदी के किनारे

4. प्रयागराज : गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर

कुंभ के विभिन्न प्रकार :

1. **पूर्ण कुंभ :** यह हर 12 साल में चार स्थानों पर आयोजित होता है।
2. **अर्द्धकुंभ :** इसे हरिद्वार और प्रयागराज में हर 6 साल में आयोजित किया जाता है।
3. **महाकुंभ :** यह 144 वर्षों में एक बार प्रयागराज में आयोजित किया जाता है।
4. **माघ कुंभ :** यह हर साल माघ माह (जनवरी-फरवरी) में प्रयागराज में आयोजित होता है।

कुंभ मेले की उत्पत्ति से जुड़ी हुई ऐतिहासिक विकास – क्रम :

कुंभ मेले की उत्पत्ति पुराणों से जुड़ी हुई है, जहाँ देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत घड़े के लिए संघर्ष होता है।

1. **प्राचीन इतिहास :** इसके तहत यह माना जाता है कि भारत में प्राचीन राजवंशों के शासन के दौरान मौर्य और गुप्त काल में कुंभ मेले की शुरुआत हुई थी।

2. **हर्षवर्द्धन का योगदान :** राजा हर्षवर्द्धन ने भी प्रयागराज में कुंभ मेला को आयोजित किया था।

3. **मध्यकालीन भारतीय राजवंशों में :** चोल, विजयनगर, दिल्ली सल्तनत और मुगलों ने भी इस कुंभ मेले का समर्थन किया था।

4. **अकबर का योगदान :** अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के क्रम में वर्ष 1565 में नागा साधुओं को मेले में शाही प्रवेश का नेतृत्व करने का सम्मान दिया था।

5. **औपनिवेशिक काल :** इस काल में कुंभ मेले के महत्त्व और विविधता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारियों ने इस मेले का सबसे पहले दस्तावेजीकरण किया और 19वीं सदी में जेम्स प्रिंसेप ने इसके धार्मिक और सामाजिक पहलुओं का विवरण प्रस्तुत किया था।

6. **स्वतंत्रता के बाद :** कुंभ मेला भारत की सांस्कृतिक धरोहर और एकता का प्रतीक बन गया। 2017 में इसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त हुई।

कुंभ 2019 के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड :

सबसे बड़ी यातायात और भीड़ प्रबंधन योजना।

1. सबसे बड़ी सार्वजनिक चित्रकला प्रक्रिया (पेंट माई सिटी योजना)।

2. सबसे बड़ा स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान तंत्र।

कुंभ मेला का आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ज्योतिषीय महत्त्व :

आध्यात्मिक महत्त्व :

1. कुंभ मेला विशेष रूप से त्रिवेणी संगम (गंगा, यमुना, और सरस्वती) के पवित्र जल में स्नान को पापों से मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग के रूप में देखा जाता है।

2. कुंभ में स्नान करने को आध्यात्मिक महत्त्व के दृष्टिकोण से व्यक्ति को मोक्ष की दिशा में अग्रसर करने के संदर्भ में देखे जाने की मान्यता है।

सांस्कृतिक महत्त्व :

1. कुंभ मेला न केवल धार्मिक गतिविधियों का केंद्र भर ही नहीं है, बल्कि इसमें भक्ति कीर्तन, भजन, और पारंपरिक नृत्य जैसे कथक, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी भी प्रस्तुत किए जाते हैं।

2. धार्मिक गतिविधियों से जुड़े ये नृत्य व्यक्ति में आध्यात्मिक एकता और दिव्य प्रेम की भावना को प्रकट करते हैं।

ज्योतिषीय महत्त्व :

1. कुंभ मेला विशेष रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति के आधार पर तय किया जाता है, और यह ज्योतिष के दृष्टिकोण से अत्यधिक शुभ माना जाता है।

2. नासिक और उज्जैन में जब कोई ग्रह सिंह राशि में होता है, तब इसे ' सिंहस्थ कुंभ ' कहा जाता है।

महाकुंभ मेला से संबंधित अनुष्ठान और विभिन्न गतिविधियाँ :

1. **शाही स्नान :** यह आयोजन महाकुंभ मेले की शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें संत और अखाड़े के लोग जुलूस के साथ औपचारिक स्नान करते हैं।

2. **अखाड़े :** 'अखाड़ा' शब्द का अर्थ 'अखंड' से है, और इसे समाज की एकता, नैतिकता और संस्कृति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन जीवनशैली को बचाने के लिए तपस्वियों को एकत्रित किया। अखाड़े समाज में सद्गुण, नैतिकता, आत्म-संयम और करुणा को बढ़ावा देते हैं।

3. अखाड़ों को उनके इष्ट देवता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

4. **शैव अखाड़े :** इस अखाड़े से संबंधित व्यक्ति भगवान शिव की विभिन्न रूपों में पूजा करते हैं।

5. **वैष्णव अखाड़े :** इस अखाड़े से संबंधित व्यक्ति भगवान विष्णु की विभिन्न रूपों में पूजा करते हैं।

6. **उदासीन अखाड़ा :** यह अखाड़ा गुरु नानक के पुत्र चंद्र देव द्वारा स्थापित किया गया था।

7. **पेशवाई जुलूस :** यह एक भव्य पारंपरिक जुलूस होता है, जिसमें हाथी, घोड़े और रथों पर श्रद्धालु शामिल होते हैं।

8. **आध्यात्मिक प्रवचन :** इसके तहत विभिन्न श्रद्धेय संतों और आध्यात्मिक नेताओं द्वारा जीवन की गूढ़ और गहरी शिक्षाओं तथा धार्मिक संगीत-नृत्य का आयोजन होता है।

यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची :

- यूनेस्को की यह सूची उन सांस्कृतिक तत्त्वों को पहचान कर प्रदान किया जाता है जो विभिन्न समाजों की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करते हैं।
- इस सूची का उद्देश्य इन विरासतों के महत्त्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनकी सुरक्षा करना है।
- भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कुंभ मेला को 2017 में मान्यता प्राप्त हुई, जो इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्त्व को वैश्विक स्तर पर मान्यता देती है।

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत :

1. अमूर्त सांस्कृतिक विरासत वे प्रथाएँ, कौशल और ज्ञान हैं जिन्हें लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में पहचानते हैं।
2. यह प्रायः मौखिक परंपराओं, कला प्रदर्शनों, सामाजिक प्रथाओं, उत्सवों, प्रकृति से संबंधित ज्ञान और पारंपरिक शिल्प कौशल के रूप में व्यक्त होती है।

निष्कर्ष :

- महाकुंभ मेला भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का अद्वितीय प्रतीक है, जो हर 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। यह मेला लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, जो पवित्र नदियों में स्नान करने और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति के लिए यहाँ आते हैं।
- महाकुंभ का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं है, बल्कि यह भारत की सामाजिक एकता, सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक भी है। विभिन्न अखाड़ों और संत समाज के माध्यम से समाज में नैतिकता, करुणा और आत्म-संयम को बढ़ावा मिलता है।
- महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति के समृद्ध रूपों जैसे कथक, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के प्रदर्शन के माध्यम से सांस्कृतिक समागम को उजागर करता है।
- यह मेला न केवल धार्मिक आयोजनों का स्थल है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता का भी महत्वपूर्ण मंच है।
- महाकुंभ मेला को यूनेस्को द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाएँ और प्रशासनिक कौशल आधुनिकता और तकनीकी विकास का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
- अंततः, महाकुंभ मेला भारत की सांस्कृतिक समृद्धि, विविधता और सामाजिक एकता का प्रतीक है, जो हजारों वर्षों पुरानी परंपराओं और आधुनिकता का अद्वितीय संगम है।

स्त्रोत – उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाकईट एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. महाकुंभ मेला के आयोजन से जुड़े हुए ऐतिहासिक तथ्यों पर विचार कीजिए।

1. राजा हर्षवर्धन ने प्रयागराज में कुंभ मेला को आयोजित किया था।
2. ब्रिटिश अधिकारियों ने कुंभ मेला का दस्तावेजीकरण किया था।
3. अकबर ने वर्ष 1665 में नागा साधुओं को शाही प्रवेश का सम्मान दिया था।
4. कुंभ मेला का आयोजन 16वीं सदी में शुरू हुआ था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 1 और 2

C. केवल 2 और 4

D. केवल 2 और 3

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. महाकुंभ मेला 2025 के आयोजन से जुड़ी प्रशासनिक तैयारियों, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ज्योतिषीय महत्त्व इस मेले में उपयोग की जा रही तकनीकी व्यवस्थाओं, जैसे मोबाइल कनेक्टिविटी और आपातकालीन संचार सुविधाओं, का विवरण देते हुए कुंभ मेला की उत्पत्ति, प्रकार और यूनेस्को द्वारा इसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देने के महत्व को स्पष्ट भी स्पष्ट करें।

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 : राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका और स्वामी विवेकानंद का योगदान

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस (स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती) के मौके पर ‘ विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 ‘ में भाग लिया।
- भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध महान आध्यात्मिक नेता, दार्शनिक और भारत के महान विचारक स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है।

विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम 2025 का परिचय :

1. युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित यह एक ऐसा मंच है जिसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना है।
2. यह भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर किए गए आह्वान से जुड़ा है, जिसमें बिना किसी राजनीतिक दल से संबंधित 1 लाख युवाओं को राजनीति में भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया था।
3. इस कार्यक्रम में 15-29 वर्ष आयु के 3,000 युवाओं ने भाग लिया, जिनका चयन एक बहु-चरणीय प्रक्रिया (जिसे ‘विकसित भारत चैलेंज’ कहा जाता है) द्वारा किया गया।
4. इस संवाद का मुख्य उद्देश्य भारत के विकास के लिए महत्व-पूर्ण विषयों पर युवाओं के विचार जानना था।
5. इस कार्यक्रम दौरान युवा नेताओं ने प्रौद्योगिकी, महिला सशम क्तीकरण, स्थिरता, विनिर्माण और कृषि जैसे प्रमुख मुद्दों पर अपने विचार भी प्रस्तुत किया।

स्वामी विवेकानंद का परिचय और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य :

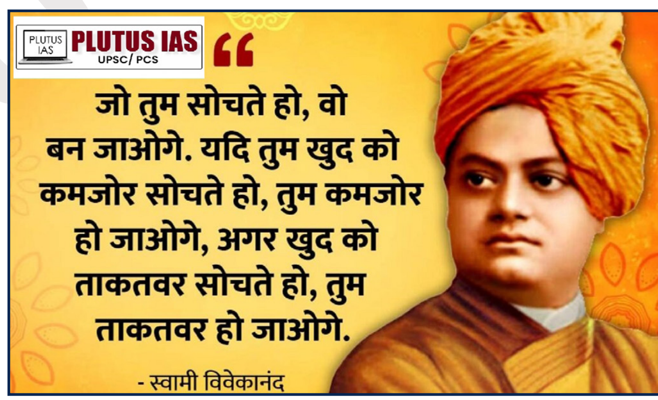

1. **व्यक्तिगत जीवन :** स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। वे रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य, एक महान भारतीय संत और एक महान योगी थे। वर्ष 1893 में खेतड़ी राज्य के महाराजा अजीत सिंह के कहने पर उन्होंने अपना नाम ‘सच्चिदानंद’ से बदलकर ‘विवेकानंद’ रखा।
2. **आध्यात्मिक यात्रा और आत्मज्ञान की प्राप्ति :** सन 1892 में स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी के तट से हिंद महासागर में एक विशाल शिला तक तैरकर यात्रा की। इस शिला पर तीन दिन और रातें बिताने के बाद उन्हें गहरे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। इस शिला को अब विवेकानंद रॉक मेमोरियल के रूप में जाना जाता है।

3. **आध्यात्मिकता और भौतिक प्रगति के बीच आपसी समन्वय और संतुलन आवश्यक :** स्वामी विवेकानंद ने भारतीय दर्शन, विशेष रूप से वेदांत और योग को विश्वभर में प्रचारित किया। उन्होंने 'नव-वेदांत' का प्रचार किया, जो पश्चिमी दृष्टिकोण से हिंदू धर्म की व्याख्या करता था। उनका मानना था कि आध्यात्मिकता और भौतिक प्रगति के बीच आपसी समन्वय और संतुलन आवश्यक है।

4. **धार्मिक और सामाजिक विचार :** स्वामी विवेकानंद का मानना था कि सेवा के माध्यम से समाज की उन्नति हो सकती है, और "जीव की सेवा करना शिव की उपासना के समान है।" उनका मानना था कि धर्म एक सार्वभौमिक सत्य है, जो असहिष्णुता और अंधविश्वास से मुक्त होना चाहिए।

5. **शिक्षा के माध्यम से भारतीय समाज और राष्ट्र का पुनर्निर्माण करने का आह्वान करना :** स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के माध्यम से भारतीय समाज और राष्ट्र का पुनर्निर्माण करने का आह्वान किया। उन्होंने मानव-निर्माण और चरित्र निर्माण वाली शिक्षा को महत्व दिया। उनका मानना था कि छात्रों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मनिर्भर और चरित्रवान होना चाहिए।

6. **मानवता और करुणा के मूल्यों पर जोर देना :** स्वामी विवेकानंद ने मानवता और करुणा के मूल्यों पर जोर दिया। उनका मानना था कि जीवन के चार मार्ग—राजयोग, कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग—के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है।

7. **युवाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत :** स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। उनका विचार था कि युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए, ताकि वे देश की प्रगति में योगदान दे सकें।

8. **राष्ट्रवाद और समाज सेवा के तहत समाज सुधार पर जोर देना :** स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद मानवतावाद और सर्वहितवाद पर आधारित था, जिसमें समाज के कल्याण और स्वतंसत्रता की बात की गई थी। उनका मानना था कि निस्वार्थ सेवा के माध्यम से समाज में सुधार और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है।

9. **नैतिकता और धर्म संबंधी विचार :** स्वामी विवेकानंद के अनुसार, नैतिकता और धर्म एक व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म असल में परम सत्य का अनुभव है, जो असहिष्णुता, अंधविश्वास और पुरोहितवाद से मुक्त होना चाहिए।

10. **स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित संस्थाएं :** सन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिक उत्थान के आदर्शों को फैलाने के लिए कार्यरत है। उन्होंने बेलूर मठ की भी स्थापना की, जो बाद में उनका स्थायी निवास बन गया।

11. **भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में उनका योगदान :** सन 1893 में शिकागो धर्म संसद में उन्होंने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का परचम लहराया। इसके अलावा, जुलाई 1896 में उन्होंने लंदन में लंदन हिंदू एसोसिएशन के एक सम्मेलन को भी संबोधित किया।

स्वामी विवेकानंद का विभिन्न विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण विचार :

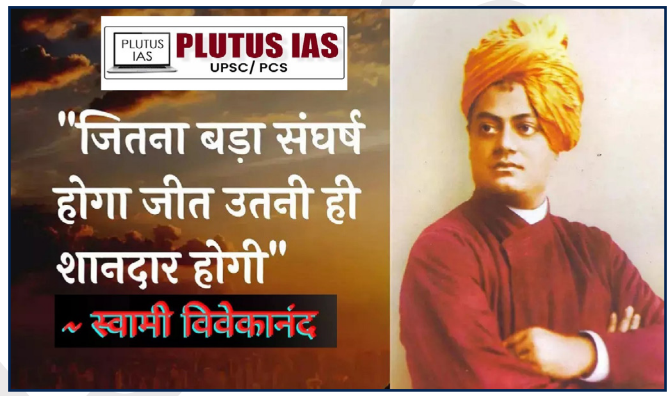

1. **गरीबी और धर्म पर विचार :** स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिस देश में लाखों लोग भूखे रहते हैं और कुछ लोग उनकी स्थिति सुधारने के बजाय उनका शोषण करते हैं, वह धर्म नहीं हो सकता। यह पिशाचों के नृत्य जैसा है। धर्म का उद्देश्य गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना है।

2. **समानता और भाईचारे का संदेश :** स्वामी विवेकानंद ने निम्न वर्ग के लोगों, जैसे अज्ञानी, गरीब, अनपढ़, और कामकाजी वर्ग के बारे में कहा कि ये सब हमारे भाई हैं। हमें उनके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम सब एक समान हैं।

3. **आध्यात्मिक राष्ट्रवाद पर विचार :** सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का आध्यात्मिक जनक माना है। उनका मानना था कि स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज और राष्ट्र के आध्यात्मिक उत्थान के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया है।

राष्ट्रीय युवा नीति (NYP) 2014 और 2024 :

NYP 2014 :

1. यह नीति भारत के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता हासिल करने और देश के विकास में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए प्रेरित करती है।

2. इसे भारत में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था।

NYP 2024 :

1. भारत सरकार ने NYP 2014 की समीक्षा कर इसे अद्यतन किया है और नया प्रारूप NYP 2024 जारी किया है।
2. यह वर्तमान नीति सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप है और युवाओं के समग्र विकास के लिए एक दस वर्षीय दृष्टि-कोण प्रस्तुत करती है।
3. **यह मुख्यतः** पाँच प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमे शिक्षा, रोज़गार, युवा नेतृत्व, स्वास्थ्य एवं सामाजिक न्याय, तथा सामाजिक समावेशन के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है।

राष्ट्रीय युवा नीति का मुख्य उद्देश्य और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु :

1. वर्ष 2030 तक युवा विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट योजना तैयार करना।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ करियर और जीवन कौशल में सुधार करना।
3. नेतृत्व और स्वयंसेवा के अवसर बढ़ाना, और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
4. स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, और खेल तथा फिटनेस को बढ़ावा देना।
5. हाशिये पर पड़े युवाओं के लिए सुरक्षा, न्याय और सहायता सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष :

- विकसित भारत युवा नेता संवाद और स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएँ युवाओं को सशक्त बनाने, नैतिक नेतृत्व, और समग्र विकास की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। राष्ट्रीय युवा नीति 2024 जैसी योजनाएँ इन पहलुओं के साथ मेल खाती हैं और उनका उद्देश्य युवाओं को शिक्षा, आत्मनिर्भरता, और तर्कसंगतता से सक्षम बनाना है। इसके माध्यम से, भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को सम्मानित करते हुए, भारत के एक स्थायी और समृद्ध भविष्य की दिशा में कार्य किया जा सकता है।

स्त्रोत – पीआईबी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. राष्ट्रीय युवा दिवस और ' विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 ' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है।
2. 'विकसित भारत युवा नेता संवाद' का आयोजन भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
3. 'विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025' का आयोजन स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित होकर किया गया था।
4. 'विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025' में केवल 30 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवाओं ने भाग लिया।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है ?

A. केवल एक

B. केवल दो

C. केवल तीन

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – C

व्याख्या :

1. राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है।
2. 'विकसित भारत युवा नेता संवाद' का आयोजन भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
3. 'विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 का आयोजन स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित होकर किया गया था।

PLUTUS IAS

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. स्वामी विवेकानंद के विचारों और योगदान को ध्यान में रखते हुए, 'विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025' और राष्ट्रीय युवा नीति 2024 के अंतर्गत देश में युवाओं के समग्र विकास, नैतिक नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका पर चर्चा करें।

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

वन (संरक्षण संशोधन अधिनियम) 2023 : जनजातीय मंत्राशलय की पहल और प्रभाव

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने राज्यों को बाघ अभयारण्यों में वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया है।

जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी निर्देश से संबंधित प्रमुख प्रावधान :

1. **वन अधिकार अधिनियम का पालन सुनिश्चित करना :** मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि वन में रहने वाले समुदायों को उनके अधिकारों की कानूनी मान्यता के बिना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत बेदखल नहीं किया जा सकता। यह कदम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में वनवासी समुदायों से अवैध बेदखली की शिकायतों के बाद उठाया गया है।

2. **पुनर्वास के लिए सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होना :** वन अधिकार अधिनियम (FRA) की धारा 4(2) के अनुसार, ग्राम सभाओं से पुनर्वास के लिए स्वतंत्र और सूचित सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अलावा, कानून में उन क्षेत्रों में बसने का अधिकार भी दिया गया है, जहां पुनर्वास का प्रस्ताव है।

3. **राज्यों से बाघ अभयारण्यों में स्थित आदिवासी गाँवों से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होना :** मंत्रालय ने राज्यों से बाघ अभयारण्यों में स्थित आदिवासी गाँवों और उनके वन अधिकार दावों की स्थिति का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

4. **विशेष शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का निर्देश देना :** मंत्रालय द्वारा राज्यों को वन क्षेत्रों से बेदखली संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए विशेष शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।

वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 क्या है ?

1. यह अधिनियम वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों को उनके वन अधिकारों की कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए बनाया गया है।

2. **उद्देश्य :** यह अधिनियम औपनिवेशिक काल और उसके बाद की वन प्रबंधन नीतियों द्वारा इन समुदायों के साथ किए गए अन्याय की भरपाई करने के लिए है। इसका उद्देश्य इन समुदायों को भूमि पर स्थायी अधिकार और वन संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार देकर उनके जीवन को सशक्त बनाना है।

प्रमुख प्रावधान :

1. **स्वामित्व अधिकार प्रदान करना :** इसमें वनस्पति मूल के सभी गैर-काष्ठ उत्पादों पर समुदायों को स्वामित्व का अधिकार दिया गया है।
2. **सामुदायिक अधिकार को मान्यता देना :** इसके तहत पारंपरिक उपयोग अधिकारों को मान्यता दी जाती है।
3. **पर्यावास अधिकार :** इस प्रावधान के द्वारा आदिवासी समूहों को उनके पारंपरिक पर्यावासों पर अधिकार मिलते हैं।
4. **सामुदायिक वन संसाधन (CFR) के संरक्षण और स्थायी प्रबंधन का अधिकार देना :** इस प्रावधान के तहत यह समुदायों को पारंपरिक वन संसाधनों के संरक्षण और स्थायी प्रबंधन का अधिकार देता है।
5. **वन भूमि के उपयोग के लिए ग्राम सभा की सहमति का अनिवार्य होना :** यह अधिनियम उन सरकारी कल्याण योजनाओं को भी समर्थन देता है, जो वन भूमि के उपयोग की अनुमति प्रदान करती हैं, बशर्ते उसमें ग्राम सभा की सहमति शामिल हो।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की राह में आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ:

1. **व्यक्तिगत अधिकारों की मान्यता का अभाव :** वन विभाग द्वारा व्यक्तिगत अधिकारों की स्वीकृति में रुकावटें उत्पन्न होती हैं, जो वन संसाधनों पर समुदायों के व्यक्तिगत नियंत्रण को चुनौती देती हैं। उदाहरण के लिए – असम में झूम खेती के कारण अधिकारों की मान्यता प्रक्रिया जटिल हो जाती है, जबकि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में अधिकारों की मान्यता में प्रगति के बावजूद सामुदायिक भूमि का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग होने का खतरा बना रहता है।

2. **तकनीकी समस्याओं का होना :** वनमित्र जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन में इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी और जनजातीय क्षेत्रों में कम साक्षरता की वजह से अधिकार दावों के प्रसंस्करण में कठिनाई होती है, जिससे इसका प्रभावी कार्यान्वयन मुश्किल हो जाता है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

3. **कानून की विसंगति के कारण अस्पष्टता और परस्पर विरोधी कानून का होना :** वन अधिकार अधिनियम (FRA) भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 जैसे अन्य कानूनों से मेल नहीं खाता। इस विसंगति के कारण अस्पष्टता उत्पन्न होती है, और कई बार अधिकारी FRA के बजाय परंपरागत वन प्रशासन को प्राथमिकता देते हैं।

4. **वैध दावेदारों के लिए किसी भी प्रकार वैकल्पिक व्यवस्था का नहीं होना उच्च अस्वीकृति दर का होना :** वन कानूनों के तहत कई दावों को बिना स्पष्ट कारण बताए या पुनः अपील का अवसर दिए बिना खारिज कर दिया जाता है, विशेषकर जब दस्तावेज़ों या प्रमाणों की कमी होती है। इससे वैध दावेदारों को कोई वैकल्पिक रास्ता या विकल्प नहीं मिलता है।

5. **हाशिए पर स्थित समुदायों के अधिकारों का हनन होने की संभावना और ग्राम सभाओं का कमजोर प्रदर्शन का होना :** ग्राम सभाओं को अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाने के लिए संसाधनों और प्रशिक्षण की कमी होती है। इसके अलावा, स्थानीय प्रभावशाली वर्ग का निर्णय लेने की प्रक्रिया पर हावी होना और हाशिए पर स्थित समुदायों के अधिकारों का हनन होने की संभावना रहती है।

6. **विकास परियोजनाओं से जुड़ी समस्याएँ और निष्कासन की व्यवस्था का होना :** वन अधिकार अधिनियम के बावजूद, विकास परियोजनाएँ जैसे खनन, बांध और राजमार्ग आदि के कारण वनवासी समुदायों को अपने स्थलों से निष्कासित किया जाता है, जिससे उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है।

आगे की राह :

1. **सहकारी शासन को सुनिश्चित किया जाना और प्रतिरोध का समाधान करने की जरूरत :** वन अधिकारों का दावा सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए और इसके लिए वन विभागों के साथ संवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही, FRA के उद्देश्यों के साथ संरक्षण कार्यों को संरेखित करने के लिए किसान उत्पादक संगठनों (FPO) जैसे जनजातीय या वनवासी संगठनों का गठन किया जाना चाहिए। भारतीय वन अधिनियम, 1927 जैसे पुराने कानूनों में संशोधन कर वन अधिकार अधिनियम के साथ संघर्ष को कम किया जा सकता है और सहकारी शासन को सुनिश्चित किया जा सकता है।

2. **डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और तकनीकी क्षमताओं में सुधार करने की आवश्यकता :** जनजातीय क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाकर और डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग के लिए प्रशिक्षण देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देकर दस्ताढ़ वेज़ीकरण प्रक्रियाओं को सरल और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाना चाहिए।

3. **वन समुदायों और जैव विविधता की रक्षा के लिए धारणीय प्रथाओं के अधिकारों में संतुलन बनाने की आवश्यकता :** बड़ी विकास परियोजनाओं को इस प्रकार से लागू किया जाना चाहिए कि वे सामुदायिक अधिकारों के साथ-साथ वन समुदायों और जैव विविधता की रक्षा के लिए धारणीय प्रथाओं को भी अपनाएं। सह-प्रबंधन मॉडल को बढ़ावा देकर संरक्षण और सामुदायिक सशक्तीकरण के बीच संतुलन बनाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए।

4. **ग्राम सभाओं में निर्णय-प्रक्रिया को समावेशी बनाने की अत्यंत आवश्यकता :** ग्राम सभाओं में निर्णय-प्रक्रिया को समावेशी बनाना चाहिए, ताकि महिलाओं और निम्न जातियों जैसे हाशिये पर स्थित समूहों को लाभों तक समान पहुँच मिल सके।

5. **हाशिये पर स्थित समूहों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए ग्राम सभाओं की क्षमता निर्माण पर ध्यान देने की जरूरत :** वनवासी समुदायों को वन अधिकार अधिनियम के तहत उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाए जाने चाहिए। इसके साथ ही, हाशिये पर स्थित समूहों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए ग्राम सभाओं की क्षमता निर्माण पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

स्रोत – पीआईबी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. हाल ही में, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने राज्यों को बाघ अभयारण्यों में वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा कदम उठाने का निर्देश दिया है?

1. बाघ अभयारण्यों में वन अधिकार दावों की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।
2. वन विभाग को अधिकारों की स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।
3. विशेष शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।
4. आदिवासी समुदायों के लिए पुनर्वास योजना को लागू करने का निर्देश दिया गया है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 4
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3
D. केवल 2 और 4

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत के जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा बाघ अभयारण्यों में वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं और इस कानून के कार्यान्वयन में कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ है और उसके समाधान की राह क्या है? तर्कसंगत चर्चा कीजिए। (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारत-तालिबान संबंध : दक्षिण एशिया के भू-राजनीति में नया समीकरण

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने दुबई में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की। इस उच्च स्तरीय बैठक और मुलाकात ने भारत की विदेश नीति में नए बदलाव का संकेत दिया है।
- जनवरी 2025 में भारतीय विदेश सचिव और तालिबान के विदेश मंत्री के बीच हुई यह मुलाकात अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत और तालिबान के बीच सबसे उच्च स्तरीय वार्ता थी।
- वर्ष 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने से दक्षिण एशियाई राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। भारत ने इस नई परिस्थिति में मानवीय संकट और क्षेत्रीय हितों का संतुलन साधते हुए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया, जो उसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और वैश्विक राजनीति में अपनी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में था।

पृष्ठभूमि :

- **तालिबान का पुनरुत्थान :** वर्ष 2021 में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में फिर से सत्ता संभाली, जिससे दक्षिण एशियाई भू-राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव आया। इस घटनाक्रम भारत सहित अन्य क्षेत्रीय देशों को अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया।
- **भारत का संतुलित दृष्टिकोण और अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करते हुए संतुलित प्रतिक्रिया देना :** भारत ने इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। भारत ने अफगानिस्तान में मानवीय संकट को देखते हुए सहायता प्रदान की, और साथ ही तालिबान शासन के साथ अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करते हुए संवाद बनाए रखा।
- **भारत द्वारा औपचारिक रूप से तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देना :** भारत ने औपचारिक रूप से तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी, लेकिन काबुल में एक तकनीकी मिशन स्थापित कर अपनी उपस्थिति को बनाए रखा। इस जुड़ाव ने भारत को अफगानिस्तान में मानवीय सहायता प्रदान करते हुए अपनी रणनीतिक सुरक्षा को बनाए रखने का अवसर प्रदान किया है।

दक्षिण एशिया में भू-राजनीतिक गतिशीलता और पाकिस्तान की भूमिका :

1. **दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य में बदलाव आना :** तालिबान के सत्ता में आने से क्षेत्रीय राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य में बदलाव आया, जिससे भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंध प्रभावित हुए।
2. **तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को तालिबान का समर्थन और पाकिस्तान :** पाकिस्तान में सक्रिय तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को तालिबान का समर्थन प्राप्त है, जो पाकिस्तान के लिए गंभीर सुरक्षा खतरा बन चुका है। पाकिस्तान ने हाल ही में टीटीपी के ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है।
3. **भारत की चिंता :** भारत ने पाकिस्तान के हवाई हमलों की निंदा करते हुए इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया था।
4. **तालिबान और आतंकवाद के बीच का गठजोड़ :** अफगानिस्तान से संचालित 6,000 से अधिक टीटीपी लड़ाके और तालिबान का अल-कायदा के साथ संबंध क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। पाकिस्तान ने सोवियत कब्जे के दौरान तालिबान का समर्थन किया था, लेकिन आज तालिबान पाकिस्तान के लिए एक नई सुरक्षा चुनौती बन गया है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

तालिबान के प्रति भारत का रणनीतिक दृष्टिकोण :

1. **भारत द्वारा अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान करना :** भारत अफगानिस्तान को महत्वपूर्ण मानवीय सहायता प्रदान करता रहा है, जिसमें COVID-19, पोलियो, तपेदिक के लिए दवाएं, टीके, शीतकालीन कपड़े, स्वच्छता किट और खाद्य सामग्री शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपये की मानवीय सहायता निर्धारित की गई है। मिश्री-मुत्ताकी वार्ता के बाद, भारत ने अफगानिस्तान के स्वास्थ्य और शरणार्थी पुनर्वास क्षेत्र के लिए अतिरिक्त सहायता देने का वादा किया है।
2. **भारत की क्षेत्रीय नीति में पड़ोसी देशों के साथ साझेदारी को प्राथमिकता देना :** भारत की क्षेत्रीय नीति में पड़ोसी देशों के साथ साझेदारी को प्राथमिकता दी गई है। ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह के माध्यम से सहयोग किया जाता है, जो भारत को पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान को सहायता और व्यापार पहुंचाने का एक रणनीतिक मार्ग प्रदान करता है। यह सहयोग अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव को बढ़ाता है और ईरान के साथ क्षेत्रीय मध्यस्थता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
3. **भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह का समर्थन किया जाना और भारत – अफगानिस्तान के बीच का आर्थिक संबंध :** भारत ने अफगानिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने के लिए चाबहार बंदरगाह का समर्थन किया है, जिससे अफगानिस्तान को आर्थिक विकास करने के अनेक अवसर मिलते हैं। भारत का यह कदम अफगानिस्तान और क्षेत्र के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है।
4. **भारत द्वारा सांस्कृतिक कूटनीति और सॉफ्ट पावर का उपयोग करना :** भारत की सांस्कृतिक कूटनीति अफगानिस्तान के साथ रिश्तों को मजबूती प्रदान करती है। अफगानिस्तान में क्रिकेट की लोकप्रियता भारत के लिए युवाओं से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर है, खासकर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के माध्यम से। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के जरिए भारत ने 2021 से 3,000 से अधिक छात्रवृत्तियां अफगान छात्रों को दी हैं, जिससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध मजबूत हुए हैं। इन पहलों से भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ी है और अफगानिस्तान में भारत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है।

भारत का तालिबान के साथ जुड़ाव से उत्पन्न चुनौतियाँ और अवसर :

भारत के लिए प्रमुख चुनौतियाँ :

1. क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएँ : आतंकवादी समूह जैसे अल-कायदा, टीटीपी और आईएसकेपी की उपस्थिति क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बनती है, जिससे भारत के कूटनीतिक प्रयासों में कठिनाइयाँ आती हैं।
2. **पाकिस्तान का प्रभाव :** पाकिस्तान द्वारा तालिबान और अन्य आतंकवादी समूहों को समर्थन देने से क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ रही है, खासकर डूरंड लाइन के मुद्दे पर। डूरंड लाइन को तालिबान द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, जिससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में तनाव पैदा हो रहा है।
3. **तालिबान की आंतरिक नीतियाँ :** तालिबान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों, मानवाधिकारों और सख्त इस्लामी कानून को लेकर विवाद बढ़े हुए हैं। इन नीतियों की वैश्विक आलोचना हो रही है, जिससे भारत के संबंधों पर असर पड़ सकता है।

भारत के लिए प्रमुख अवसर :

1. **भारत के द्वारा अफगानिस्तान के साथ अपनी पारंपरिक संबंधों को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण अवसर :** अफगानिस्तान और भारत के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध हैं। भारत अफगानिस्तान के साथ अपनी परियोजनाओं और मानवीय सहायता को बढ़ाकर इन संबंधों को और मजबूत कर सकता है।
2. **अफगानिस्तान में पाकिस्तान तथा चीन के प्रभाव को संतुलित करने का अवसर प्राप्त कर क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देना :** तालिबान के साथ जुड़कर, भारत क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है और अफगानिस्तान में पाकिस्तान तथा चीन के प्रभाव को संतुलित करने का अवसर प्राप्त कर सकता है।
3. **भारत की "एक्ट वेस्ट" नीति के विस्तार करने का अवसर :** अफगानिस्तान का भौगोलिक स्थान भारत की "एक्ट वेस्ट" नीति के लिए महत्वपूर्ण है। इस नीति के तहत अफगानिस्तान को शामिल करने से भारत की मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में उपस्थिति और प्रभाव बढ़ेगा।
4. **भारत द्वारा अफगानिस्तान के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश किया जाना :** भारत ने अफगानिस्तान के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश किया है, जिसने अफगानिस्तान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। इसमें शामिल प्रमुख परियोजनाएँ निम्नलिखित है –
5. **सलमा बांध :** इसे अफगान-भारत मैत्री बांध के रूप में जाना जाता है, 2016 में उद्‌घाटित इस परियोजना से अफगानिस्तान की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ती है और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है।
6. **ज़रंज-देलाराम राजमार्ग :** भारत के सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित, यह राजमार्ग अफगानिस्तान को ईरान के चाबहार बंदरगाह से जोड़ता है, एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग प्रदान करता है। यह बुनियादी ढांचा परियोजना वैश्विक बाजारों के साथ अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

अफगानिस्तान के साथ भारत का जुड़ाव क्यों महत्वपूर्ण है?

- **भारत को मध्य एशिया तक अपनी पहुँच को सुनिश्चित करना तथा भू – राजनीतिक हित :** भारत को अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को बनाए रखना आवश्यक है ताकि पाकिस्तान के क्षेत्रीय प्रभाव का मुकाबला किया जा सके और मध्य एशिया तक अपनी पहुँच को सुनिश्चित किया जा सके।
- **अफगानिस्तान में बढ़ती अस्थिरता से पूरे दक्षिण एशिया में अशांति फैलने का खतरा :** भारत अफगानिस्तान में स्थिरता को महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि इससे पूरे दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखने में मदद मिलती है।
- **निवेशों का संरक्षण और उसे सुरक्षित रखने की कोशिश :** भारत ने अफगानिस्तान में विभिन्न बुनियादी ढाँचे और विकास परियोजनाओं में निवेश किया है। इन निवेशों को भविष्य में सुरक्षित रखना भारत के दीर्घकालिक हितों के लिए जरूरी है।

आगे की राह :

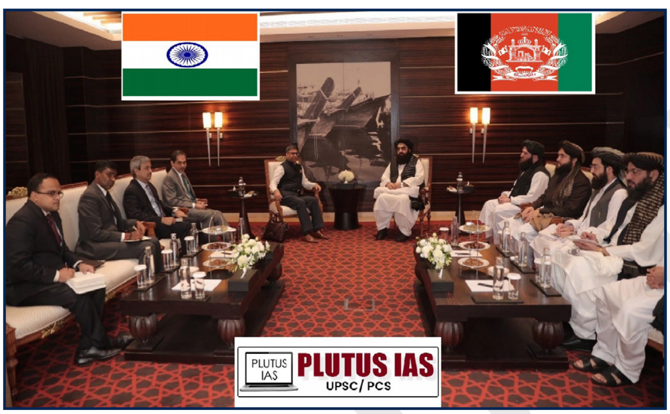

1. **दीर्घकालिक और महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर वित्तीय निवेश करना :** भारत को अफगानिस्तान की दीर्घकालिक सहायता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और मानवीय राहत जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इन परियोजनाओं का रणनीतिक मूल्यांकन करके उनका सही तरीके से कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।
2. **अल्पसंख्यकों के अधिकारों और लोकतांत्रिक नेतृत्व को बढ़ावा देना :** भारत को अफगान नागरिक समाज के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बढ़ावा देना चाहिए। भारत द्वारा उठाया जाने वाला यह कदम अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में मदद करेगा।
3. **व्यापार पहुँच के लिए सार्क मंच का उपयोग करना :** भारत को सार्क मंच का उपयोग करके अफगानिस्तान तक व्यापार पहुँच बढ़ाने के विकल्प तलाशने चाहिए। इससे दोनों देशों को आर्थिक लाभ होगा और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
4. **विमर्श को बढ़ावा देने पर जोर देने की आवश्यकता :** अफगानिस्तान के लोगों की चिंताओं को समझते हुए, भारत को शैक्षिक वीजा को फिर से शुरू करने के प्रयास करने चाहिए। इससे भारत और अफगानिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते और शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे।

निष्कर्ष :

1. भारत का तालिबान के साथ जुड़ाव एक जटिल भू-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में व्यावहारिक प्रतिक्रिया के रूप में है।
2. भारत ने तालिबान को कभी भी औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, लेकिन इसकी बहुआयामी नीति – मानवीय सहायता, क्षेत्रीय साझेदारी और सांस्कृतिक कूटनीति – भारत की अफगानिस्तान के प्रति प्रतिबद्धता और क्षेत्रीय हितों को दर्शाती है।
3. आतंकवादी समूहों, पाकिस्तान के प्रभाव और तालिबान की विवादास्पद नीतियों के बावजूद, भारत की सक्रिय कूटनीति एक रचनात्मक जुड़ाव का ढांचा तैयार करती है।
4. भारत अफगानिस्तान के कल्याण और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देने के साथ अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित रखना चाहता है।
5. अफगानिस्तान में तालिबान शासन के स्थायित्व के लिए भारत को अपनी "एक्ट वेस्ट" नीति के तहत कूटनीतिक, आर्थिक और मानवीय पहुँच का विस्तार करना चाहिए।
6. भारत को क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए एक संतुलित और स्थिर दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

स्त्रोत – पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत का तालिबान के साथ जुड़ाव किस कारण से महत्वपूर्ण है?

1. भारत को अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को बनाए रखने की आवश्यकता है।
2. अफगानिस्तान में स्थिरता से पूरे दक्षिण एशिया में शांति बनी रहती है।
3. भारत ने अफगानिस्तान में अपने निवेशों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है।
4. तालिबान का समर्थन भारत के लिए चीन के प्रभाव को बढ़ाने का अवसर है।

निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है?

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2 और 4

C. केवल 1 और 3

D. केवल 2 और 3

उत्तर – A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत और तालिबान के बीच के संबंधों के संदर्भ में, भारत की विदेश नीति में हुए बदलाव, अफगानिस्तान में भारत के मानवीय सहायता, क्षेत्रीय साझेदारी, और सांस्कृतिक कूटनीति के उपायों को ध्यान में रखते हुए, भारत अपने दीमघेकालिक रणनीतिक हितों को कैसे सुनिश्चित कर सकता है और तालिबान शासन के साथ अपने संबंधों को कैसे संतुलित रख सकता है? तर्कसंगत व्याख्या कीजिए।

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारत का संविधान और समाज : ऑनर किलिंग के खिलाफ संघर्ष

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत के तीन राज्यों हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ लड़कियों को उनके परिवारवालों ने केवल इस कारण गोली मार दी कि वे अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करना चाहती थीं, जो उनके परिवार की इच्छा के खिलाफ था।

ऑनर किलिंग किसे कहते हैं ?

- ऑनर किलिंग एक ऐसी हत्या को कहते हैं जो पारिवारिक, जाति, धार्मिक या सामुदायिक प्रतिष्ठा के सम्मान की रक्षा के नाम पर की जाती है। यह हत्या अक्सर परिवार के किसी सदस्य, खासकर महिला, द्वारा अपने चयन के जीवनसाथी के साथ विवाह करने पर की जाती है, जो भारत में पारंपरिक पारिवारिक व्यवस्था या सामाजिक मानकों के खिलाफ होता है। यह कृत्य सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक दबावों के तहत किया जाता है। यह भारत में परिवार के तथाकथित " नाक के सम्मान " की रक्षा के नाम पर किया जाता है।

भारत में ऑनर किलिंग से संबंधित प्रमुख आँकड़े :

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, भारत में 2019 और 2020 में ऑनर किलिंग की घटनाएँ 25-25 थीं, जबकि 2021 में यह संख्या बढ़कर 33 हो गई। हालांकि, वास्तविक आँकड़े इससे कहीं अधिक हो सकते हैं।

ऑनर किलिंग का प्रमुख कारण :

1. **भारतीय सामाजिक व्यवस्था का जातिवादी होना :** जाति व्यवस्था का उल्लंघन होने के डर से हिंसा को बढ़ावा मिलता है, विशेषकर जब विवाह अंतर्जातीय या समान गोत्र में होता है।
2. **भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक सोच :** महिलाओं को अपने जीवनसाथी के चुनाव का अधिकार नहीं दिया जाता, और विवाह को पारिवारिक सम्मान से जोड़ा जाता है।
3. **खाप पंचायतों का मौजूद होना :** भारत में ये पंचायतें जातिगत मानदंडों के उल्लंघन पर हत्या तक का दंड देती हैं।
4. **भारत में लैंगिक अनुपात में असंतुलन होना :** महिला-पुरुष अनुपात में असंतुलन के कारण महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ती है।
5. **सामाजिक स्थिति में तथाकथित प्रतिष्ठा का होना :** पारिवारिक सम्मान को व्यक्तिगत इच्छाओं और निर्णयों से परे प्राथमिकता दी जाती है।

भारत में ऑनर किलिंग के परिणाम :

1. **मूल अधिकारों और मानवाधिकार का उल्लंघन होना :** ऑनर किलिंग जीवन के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है और पितृसत्तात्मक संरचनाओं को मजबूती देती है।
2. **मनोविज्ञान संबंधी अभिघात और दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित होने संबंधी सामाजिक प्रभाव :** इससे जीवित बचे परिवार और समुदाय गहरे मानसिक आघात से जूझते हैं।

3. **विधिसम्मत शासन संचालन का प्रभावित होना :** भारत में ऑनर किलिंग के खिलाफ प्रभावी कानून की कमी और समाज में अपराधियों के समर्थन के कारण अपराधी दंड से बच जाते हैं।
4. **सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त सांस्कृतिक पिछड़ापन :** यह महिलाओं के शिक्षा और रोजगार के अधिकारों में रुकावट डालता है।
5. **ऑनर किलिंग का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव :** इस तरह की हिंसा वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में देखी जाती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय संबंध प्रभावित होते हैं।
6. **ऑनर किलिंग को सामान्य हत्या के रूप में माने जाने का प्रावधान होना :** भारत में ऑनर किलिंग को भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत सामान्य हत्या के रूप में ही माना जाता है, क्योंकि इसे विशेष रूप से संबोधित करने के लिए कोई अलग कानून नहीं है।

भारत में ऑनर किलिंग के विरुद्ध विधायी प्रयास :

- वर्ष 2011 में "विधिविरुद्ध जमाव का प्रतिषेध (वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप) विधेयक" पेश किया गया था, जो जाति पंचायतों द्वारा की जाने वाली अवैध सभाओं और हस्तक्षेपों पर रोक लगाने का प्रयास था, लेकिन यह विधेयक संसद में पारित नहीं हो सका था।
- भारतीय विधि आयोग की 242वीं रिपोर्ट (2012) में ऑनर किलिंग के खिलाफ स्पष्ट कानूनी दिशा-निर्देशों की आवश्यकता पर बल दिया गया था।

भारत में ऑनर किलिंग की रोकथाम हेतु मुख्य विधिक प्रावधान :

1. **भारतीय दंड संहिता की धारा 299-304 :** इस धारा के तहत हत्या और मानव वध के दोषियों को दंडित किया जाता है। इसमें हत्या और आपराधिक मानव वध के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा हो सकती है।
2. **सदोष मानव वध :** जब किसी व्यक्ति की मृत्यु लापरवाही या आपराधिक उद्देश्य के कारण होती है, तो उसे दोषी माना जाता है।
3. **भारतीय दंड संहिता की धारा 307 :** भारत में ऑनर किलिंग के मामले में इस धारा के तहत हत्या के प्रयास करने वाले को 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है।
4. **भारतीय दंड संहिता की धारा 308 :** इस धारा के तहत गैर-इरादतन हत्या के प्रयास के लिए तीन वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
5. **भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 35 :** इन धाराओं के तहत, जब एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा आपराधिक कृत्य किया जाता है, तो उन सभी को दंडित किया जा सकता है।

भारत में ऑनर किलिंग से संबंधित प्रमुख न्यायिक निर्णय :

1. **लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006) :** सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनर किलिंग को एक क्रूर कृत्य मानते हुए इसके अपराधियों के लिए कड़ी सजा की आवश्यकता पर जोर दिया। कोर्ट ने अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों के खिलाफ उत्पीड़न और हिंसा की निंदा की।
2. **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कृष्णा मास्टर (2010) :** उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कृष्णा मास्टर केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनर किलिंग के आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया था।
3. **अरुमुगम सेरवाई बनाम तमिलनाडु राज्य (2011) :** अरुमुगम सेरवाई बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि माता-पिता अपने बच्चों के अंतरजातीय विवाह को लेकर उन्हें धमका या परेशान नहीं कर सकते। कोर्ट ने सरकार को अंतरजातीय दंपतियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने और उत्पीड़न रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया था।
4. **शक्ति वाहिनी केस (2018) :** इस केस में भारत के उच्चत्तम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि ऑनर किलिंग मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और ऐसे अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। कोर्ट ने राज्य सरकारों को पारिवारिक खतरों का सामना कर रहे दंपतियों को सुरक्षा प्रदान करने और विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्देश दिया था।

समाधान की राह :

1. **अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप नए कानूनों को बनाने की आवश्यकता :** ऑनर किलिंग के खिलाफ एक विशेष कानून की आवश्यकता है जो ऑनर किलिंग के खिलाफ लक्षित सुरक्षा प्रदान करे, जवाबदेही सुनिश्चित करे, कानूनी प्रक्रियाओं को मानकीकृत करे, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप हो और सामाजिक बदलाव को बढ़ावा दे।

2. **सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति में और चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाना :** भारत में ऑनर किलिंग के दोषियों को कम से कम पाँच वर्षों तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इससे यह संदेश जाएगा कि ऐसे व्यक्ति सार्वजनिक पदों पर नहीं हो सकते और उनकी गतिविधियों को समाज में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह कदम पंचायतों और जातिगत भेदभाव से उत्पन्न हिंसा को रोकने में सहायक होगा।
3. **विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने की अत्यंत आवश्यकता :** ऑनर किलिंग के मामलों में त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाना चाहिए। इससे न्याय में देरी कम होगी और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा हो सकेगी।
4. **विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में संशोधन करने की अत्यंत आवश्यकता :** भारत में विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में संशोधन करके विवाह पंजीकरण की अवधि को एक महीने से घटाकर एक सप्ताह किया जाना चाहिए, ताकि विवाह के दौरान उत्पन्न होने वाले खतरों और हिंसा से बचा जा सके।
5. **ऑनर किलिंग को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की एवं भारतीय दंड संहिता में एक नया प्रावधान जोड़े जाने की अत्यंत आवश्यकता :** भारतीय दंड संहिता में एक नया प्रावधान जोड़ा जाए, जिसमें ऑनर किलिंग को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए और इसके लिए सजा का निर्धारण किया जाए, ताकि न्यायिक प्रणाली को ऐसे अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने और उन्हें रोकने में मदद मिल सके।

स्त्रोत – केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का आधिकारिक वेबसाईट, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. ऑनर किलिंग को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इसके तहत भारतीय दंड संहिता में नया प्रावधान जोड़ा जाना चाहिए।
2. भारत में महिलाओं को अपने पसंद से विवाह करने के अधिकार को रद्द करना चाहिए।
3. भारत में केवल परंपरागत विवाह विधियों का पालन करना चाहिए।
4. भारत में विशेष विवाह पंजीकरण की अवधि घटानी चाहिए।

उपर्यक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 1 और 4

C. केवल 2 और 3

D. केवल 2 और 4

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में ऑनर किलिंग के प्रमुख कारणों, परिणाम, विधायी प्रयास, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णयों को रेखांकित करते हुए भारत में ऑनर किलिंग के उन्मूलन हेतु समाधानों पर चर्चा करें। (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

PLUTUS IAS UPSC/ PCS